न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: के.आर.खौड आर.ए.एस.)

आवेदक

राजस्थान राज्य जरिये श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

1. गौरव दास पुत्र गौतम कुमार दास, जाति- तम्बोलकर, निवासी- टोपर्स कॉर्नर, सेन्ट मेरी स्कूल के सामने, हेटम जी, माउन्ट आबू, जिला- सिरोही (खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक)

फर्म:- निमंत्रण C/o टोपर्स कॉर्नर, सेन्ट मेरी स्कूल के सामने, हेटम जी, माउन्ट आबू, जिला- सिरोही

2. दिनेश कुमार गोयल पुत्र लाल चन्द गोयल, बस स्टेण्ड के पास, माउन्ट आबू, जिला- सिरोही (खाद्य कारोबारकर्ता एवं सप्लायर)

फर्म:- लालचन्द दिनेश कुमार, बस स्टेण्ड के पास, माउन्ट आबू, जिला- सिरोही

3- फर्म शिवकरणदास मुकन्दीलाल जैन एजेन्सीज, पत्थर गली, आबूरोड़, जिला-सिरोही

4- Shree Bhadresh Prajapati, Branch and Manager
गुजरात कॉ ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, प्लॉट नम्बर 5 व 6, रोशन जी की बाडी, सेक्टर-12, सेन्ट टेरेसा स्कूल रोड, उदयपुर

5. अमित माचे, Asst. Manager (खाद्य कारोबारकर्ता एवं नॉमिनी निर्माता फर्म)

फर्म:- Kaira District Co-operative Milk Producers Union Limited,
At. Food Complex, Mogar (Gujrat)- 388340

6- Kaira District Co-operative Milk Producers Union Limited,
At. Food Complex, Mogar (Gujrat)- 388340

प्रकरण संख्या: 43/2020

"अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 "

उपस्थिति:

अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह आढा, प्रतिवादी संख्या 3 से 6 की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 21 अक्टूम्बर, 2022**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरुद्ध यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में दिनांक 10.11.2020 को प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 11.11.2019 को 5.00 पी.एम. पर फर्म निमंत्रण, C/o टोपर्स कॉर्नर, सेन्ट मेरी स्कूल के सामने, हेटम जी, माउन्ट आबू, जिला- सिरोही गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से [illegible] जाति- तम्बोलकर, निवासी- टोपर्स कॉर्नर, सेन्ट मेरी स्कूल के सामने, हेटम जी, माउन्ट आबू, जिला- सिरोही उपस्थित मिले, जो आम [illegible] (डीलिसियस ब्राण्ड) का

...पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:22:49 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ फैट स्प्रेड (डेलिसियस ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की एवं रेस्टोरेन्ट के अन्दर स्टोर में आम जन के उपयोग हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ फैट स्प्रेड (डेलिसियस ब्राण्ड) के 6 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 500 ग्राम) में से फैट स्प्रेड (डेलिसियस ब्राण्ड) के 4 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 500 ग्राम) को जांच हेतु खरीदे एवं फैट स्प्रेड (डेलिसियस ब्राण्ड) की कीमत 272/- खाद्य कारोबारकर्ता को अदा कर खरीद बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रपत्र 5ए तैयार किया। खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी के कोड व क्रमांक S-1079, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर विक्रेता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा फैट स्प्रेड (डेलिसियस ब्राण्ड) के चारों पैकेटों पर पर एक-एक लेबल लेबल गोंद से चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1079 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता गौरवदास व गवाह ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये व मैंनें स्वयं ने हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई, फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। फिर कार्यालय पॅहुच कर फार्म नंबर 6 की 8 प्रतियां तैयार की व उन पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नंबर 6 की एक एक प्रति लगाकर चारो नमूना भागों को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा व नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नंबर 6 की दो प्रतियां अलग से दो लिफाफे में रखकर सील चपडी से सिल्ड किया एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 14.11.2019 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नं. 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री महेन्द्र कुमार, स्वीपर, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 11.11.2019 को शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिरोही को मेरे द्वारा जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो असल संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही से खाद्य पदार्थ फैट स्प्रेड (डेलिसियस ब्राण्ड) की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता गौरव दास से जांच हेतु लिया

....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:22:49 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

गया खाद्य पदार्थ फैट स्प्रेड (डेलिसियस ब्राण्ड) का नमूना S-1079 अमानक (Sub-standard) पाया गया है। इस प्रकरण से संबंधित समस्त मूल कागजात मय गजट नोटिफिकेशन, पदस्थापन आदेश, एरिया नोटिफिकेशन के साथ अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये। अभिहित अधिकारी ने पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन कर प्रतिवादीगण के द्वारा अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ फैट स्प्रेड (डेलिसियस ब्राण्ड) के विक्रय को उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। प्रकरण में प्रतिवादीगण ने अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ फैट स्प्रेड (डेलिसियस ब्राण्ड) का विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। अतः प्रतिवादीगण पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना किया जावे।

(2) प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने दिनांक 17.12.2021 को इस न्यायालय में लिखित जवाब प्रस्तुत किये व खाद्य पदार्थ फैट स्प्रेड (डेलिसियस ब्राण्ड) के खरीद बाबत बिल प्रस्तुत किया। प्रकरण में दिनांक 17.12.2021 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये। प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिवादी संख्या 1 व 3 को इस न्यायालय द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 78 के तहत पक्षकार बनाये जाकर अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ फैट स्प्रेड (डेलिसियस ब्राण्ड) का विक्रय किये जोने से उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन करने व अमानक खाद्य पदार्थ का विक्रय उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से प्रतिवादी संख्या 3 से 6 को नोटिस जारी किये गये। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या 3 से 6 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह आढा उपस्थित हुये एवं प्रतिवादीगण की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया।

(3) प्रकरण में बहस हेतु नियत तिथि को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री आढा की बहस सुनी गई, जिन्होनें बहस में यह व्यक्त किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन के पद संख्या 3 से 8 में गलत एवं मिथ्या कथन अंकित किये है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिवादी गौरव दास से फैट स्प्रेड (डेलिसियस ब्राण्ड) को क्रय किया जाना व उसकी कीमत अदा करने का कथन गलत है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादी गौरव दास के संस्थान पर कोई कार्यवाही निष्पादित नही की है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाली कागजों में प्रतिवादी गौरवदास के हस्ताक्षर करवाकर कार्यालय में बैठकर पूरी कार्यवाही निष्पादित की है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फैट स्प्रेड (डेलिसियस ब्राण्ड) [illegible] की कार्यवाही में

....पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:22:49 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

किसी स्वतंत्र व्यक्ति के हस्ताक्षर नही है, बल्कि बतौर गवाह सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर है, इससे कार्यवाही सन्देह पूर्ण प्रतीत होती है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ फैट स्प्रेड (डेलिसियस ब्राण्ड) के नमूना संख्या एस-1079 की जांच रिपोर्ट की प्रति नही भिजवाई है और न ही प्रतिवादीगण को ऐसी कोई जांच रिपोर्ट की प्रति प्राप्त हुई है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वार यदि जांच रिपोर्ट की प्रति प्रतिवादीगण को पंजीकृत डाक से भिजवाई होती तो उस पंजीकृत डाक की पावती इस न्यायालय में प्रस्तुत करते है, लेकिन आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने ऐसी कोई जांच रिपोर्ट प्रतिवादीगण को पंजीकृत डाक से प्रेषित नही की है। जिससे इस प्रकरण में उक्त अधिनियम की धारा 46 की उपधारा 4 का उल्लंघन हुआ है एवं प्रतिवादीगण खाद्य पदार्थ फैट स्प्रेड (डेलिसियस ब्राण्ड) के नमूने के दूसरे भाग की रेफरल लेब से जांच कराने के अधिकार से वंचित रहे है। यह कि निर्माता फर्म द्वारा फैट स्प्रेड (डेलिसियस ब्राण्ड) का निर्माण सम्पूर्ण मानकों के अनुसार ही किया जाता है एवं निर्माता द्वारा फैट स्प्रेड (डेलिसियस ब्राण्ड) की निर्धारित मानकों के अनुरुप जांच में सही पाया जाने पर ही बेचा जाता है। निर्माता द्वारा अमानक फैट स्प्रेड (डेलिसियस ब्राण्ड) का निर्माण नही किया गया है एवं न ही फैट स्प्रेड (डेलिसियस ब्राण्ड) के साथ कोई छेडछाड की गई है। यह कि फैट स्प्रेड (डेलिसियस ब्राण्ड) खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट में स्वास्थ्य के लिये असुरक्षित या हानिकारक होना नही बताया है। अतः प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि दिनांक 11.11.2019 को 5.00 पी.एम. पर आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म निमंत्रण, C/o टोपर्स कॉर्नर, सेन्ट मेरी स्कूल के सामने, हेटम जी, माउन्ट आबू, जिला- सिरोही गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से गौरव दास पुत्र गौतम कुमार दास, जाति- तम्बोलकर, निवासी- टोपर्स कॉर्नर, सेन्ट मेरी स्कूल के सामने, हेटम जी, माउन्ट आबू, जिला- सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ फैट स्प्रेड (डेलिसियस ब्राण्ड) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त फर्म निमंत्रण, C/o टोपर्स कॉर्नर, सेन्ट मेरी स्कूल के सामने, हेटम जी, माउन्ट आबू के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ फैट स्प्रेड (डेलिसियस ब्राण्ड) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना कय करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष खाद्य कारोबारकर्ता गौरव दास को प्रपत्र संख्या 5ए में भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने गवाह के समक्ष रेस्टोरेन्ट के स्टोर में आमजन के उपयोग हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ फैट स्प्रेड (डेलिसियस ब्राण्ड) के 6 पैक्ड पैकेट [illegible] ग्राम) में से खाद्य पदार्थ फैट स्प्रेड (डेलिसियस ब्राण्ड) के [illegible] को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना [illegible] एवं फैट स्प्रेड (डेलिसियस

....पेज पांच पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:22:49 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

ब्राण्ड) की कीमत राशि 272/- (अक्षरे रुपये दो सौ बहत्तर मात्र) विक्रेता गौरव दास को नकद अदा कर खरीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर खाद्य कारोबारकर्ता गौरव दास, गवाह एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं कमांक S-1079, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर खाद्य कारोबारकर्ता गौरव दास व गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा फैट स्प्रेड (डेलिसियस ब्राण्ड) के चारों नमूना पैकेटों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया तथा चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1079 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाह के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूनों भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौका फर्द तैयार की गई। मौका फर्द रिपोर्ट पर खाद्य कारोबाकरर्ता गौरव दास, उक्त गवाह एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ कय का बिल एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म निमंत्रण, C/o टोपर्स कॉर्नर, सेन्ट मेरी स्कूल के सामने, हेटम जी, माउन्ट आबू, जिला- सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता गौरव दास पुत्र गौतम कुमार दास, जाति- तम्बोलकर, निवासी- टोपर्स कॉर्नर, सेन्ट मेरी स्कूल के सामने, हेटम जी, माउन्ट आबू, जिला- सिरोही से खाद्य पदार्थ फैट स्प्रेड (डेलिसियस ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ फैट स्प्रेड (डेलिसियस ब्राण्ड) के चारों नमूना भागों को साथ लेकर कार्यालय पॅहुचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की तथा चारों नमूना भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नम्बर- 6 की दो-दो प्रतियां अलग से दो लिफाफे में रखकर सिल चपडी से सिल्ड किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 14.11.2019 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा श्री महेन्द्र, स्वीपर, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, [illegible] के वास्ते जांच जमा करवाकर रसीद प्राप्त की, जो पत्रावली [illegible] विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, नमूने का द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग व

....पेज छः पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:22:49 IST
Reason: SelfAttested

सिरोही-307001.

फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफावे को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 11.11.2019 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। विचारणीय प्रकरण में खाद्य पदार्थ फैट स्प्रेड (डेलिसियस ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1079 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण रिपोर्ट क्रमांक:L.S./978/Act/2019/1031 दिनांक 27.11.2019 के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म निमंत्रण, C/o टोपर्स कॉर्नर, सेन्ट मेरी स्कूल के सामने, हेटम जी, माउन्ट आबू, जिला- सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता गौरव दास से वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ फैट स्प्रेड (डेलिसियस ब्राण्ड) का नमूना S-1079 अमानक (Sub-standard) पाया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह भी स्पष्ट है कि अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के पत्र क्रमांक:एफएसएसए/2019/13376-79 दिनांक 23.12.2019 से खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट की प्रति प्रतिवादी गौरवदास व निर्माता Kiara District Co-operative Milk Producer, Union Ltd. को प्रेषित कर पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर अपील आवेदन प्रारुप 8 में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया है, लेकिन संबंधित ने अभिहित अधिकारी को अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी गौरवदास की फर्म निमंत्रण रेस्टोरेन्ट द्वारा खाद्य पदार्थ फैट स्प्रेड (डेलिसियस ब्राण्ड) के 500-500 ग्राम के पैक्ड पैकेटों को जरिये बिल फर्म लालचन्द दिनेश कुमार, माउन्ट आबू से क्रय किये थे, जो प्रतिवादी दिनेश कुमार गोयल की फर्म है। प्रतिवादी दिनेश कुमार गोयल की फर्म लालचन्द दिनेश कुमार, माउन्ट ने खाद्य पदार्थ फैट स्प्रेड (डेलिसियस ब्राण्ड) के 500-500 ग्राम के पैक्ड पैकेटों को फर्म शिवकरण दास मुकन्दीलाल जैन एजेन्सी, पत्थर गली, आबूरोड से जरिये बिल क्रय किये थे एवं फर्म शिवकरण दास गुजरात सहकारी दूध वितरण संघ लिमिटेड, उदयपुर से जरिये बिल क्रय किये थे। खाद्य पदार्थ फैट स्प्रेड (डेलिसियस ब्राण्ड) की निर्माता Kiara District Co-operative Milk Producer, Union Ltd. है। इस प्रकार, अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ फैट स्प्रेड (डेलिसियस ब्राण्ड) के निर्माण, पैकिंग एवं विक्रय हेतु खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 27 के अनुसार निर्माता Kiara District Co-operative Milk Producer, Union Ltd दोषी है।

अत: खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 80 के तहत प्रतिवादी संख्या 1 व 4 को दोषमुक्त किया जाकर उक्त अधिनियम की धारा 68 की उपधारा-(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 51 के तहत अ[illegible]ub-standard) खाद्य पदार्थ फैट

....पेज सात पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:22:49 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001

स्प्रेड (डेलिसियस ब्राण्ड) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु निर्माता Kiara District Co-operative Milk Producer, Union Ltd., At Food Complex, Mogar (Guj.)-388340 पर राशि रुपये 10,000/- (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। निर्माता फर्म Kiara District Co-operative Milk Producer, Union Ltd., At Food Complex, Mogar (Guj.)-388340 के नॉमिनी अमित माचे, सहायक प्रबन्धक (प्रतिवादी संख्या-3) को आदेशित किया जाता है कि निर्माता फर्म Kiara District Co-operative Milk Producer, Union Ltd., At Food Complex, Mogar (Guj.)-388340 पर अधिरोपित शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिवस के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर.खौड)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:22:49 IST
Reason: SelfAttested